श्रीमान्‌जी

निवेदन है कि श्रीमान्‌ जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक – पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान्‌ जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी बलवीर सिंह पुत्र बनवारी लाल जाति नाई उम्र 61 वर्ष निवासी वार्ड नं0 13/18 पुरानी आबादी जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल रसीद, वारिसनामा व आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी.प्रुफ पेश किया है। वारिसनामा पेश नहीं किया है। प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया है कि मेरी माता श्रीमती रूकमा देवी पत्नी बनवारी लाल जाति नाई निवासी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 28.05.2012 को करवाई थी उनका स्वर्गवास दिनांक 02.01.2020 को हो चुका है।, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थीया को गवाह सोहन लाल पुत्र गंगाराम एवं विनोद कुमार पुत्र हेतराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्योपतराम श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

2021/213

17/2/21

17/2